राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-II) विभाग

सं. एफ. 15(3) डीओपी/ए-II/2013/पार्ट जयपुर, दिनांकः 18.03.2020

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन)नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.-** राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) क्रीड़ा पदक विजेताओं की नियुक्ति निम्नलिखित कसौटी के अनुसार की जायेगीः-

(i) **प्रवर्ग क**

ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)/पैरालम्पिक गेम्स के पदक विजेताओं;

या

वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप/पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पदक विजेताओं;

या

एशियन गेम्स/एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेताओं;

या

कॉमनवेल्थ गेम्स/कॉमनवेल्थ पैरा इवेंट्स के पदक विजेताओं;

या

क्रिकेट वर्ल्ड कप/चैम्पियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं;

या

पोलो वर्ल्ड कप/चैम्पियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं;

पर अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः केवल निम्नलिखित खेल निकायों द्वारा उपर्युक्त खेलों के लिए जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जायेगाः-

इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी	(आई.ओ.सी.)
इन्टरनेशनल पैरालम्पिक कमेटी	(आई.पी.सी.)
ओलम्पिक काउन्सिल ऑफ एशिया	(ओ.सी.ए.)
एशियन पैरालम्पिक कमेटी	(ए.पी.सी.)
कामनवेल्थ गेम्स फैडरेशन	(सी.जी.एफ.)
आई.ओ.सी. से संबद्ध इन्टरनेशनल स्पोर्टस फैडरेशन	(आई.एस.एफ)
आई.पी.सी. से संबद्ध इन्टरनेशनल पैरा स्पोर्टस फैडरेशन	(आई.पी.एफ)
फैडरेशन ऑफ इन्टरनेशनल पोलो	(एफ.आई.पी.)
इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल	(आई.सी.सी.)

(ii) प्रवर्ग ख

एशियन चैम्पियनशिप/एशियन पैरा चैम्पियनशिप के पदक विजेताओं;

या

साउथ एशियन गेम्स/साउथ एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेताओं;

या

क्रिकेट एशिया कप/चैम्पियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं;

पर पे मैट्रिक्स के लेवल L-10 या उससे अधिक के, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः केवल निम्नलिखित खेल निकायों द्वारा उपर्युक्त खेलों के लिए जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जायेगाः-

ओ.सी.ए.से संबद्ध एशियन स्पोर्टस फैडरेशन	(ए.एस.एफ.)
ए.पी.सी. से संबद्ध एशियन पैरा स्पोर्टस फैडरेशन	(ए.पी.एस.एफ).
साउथ एशियन ओलम्पिक काउन्सिल	(एस.ए.ओ.सी.)
एशियन क्रिकेट काउन्सिल	(ए.सी.सी.)

(iii) प्रवर्ग ग

नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेताओं;

या

नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप के पदक विजेताओं;

या

नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ पोलो के विजेताओं/उप-विजेताओं;

या

रणजी ट्राफी के विजेताओं/उप-विजेताओं;

पर, पे मैट्रिक्स के लेवल एल-10 के नीचे के, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पदों और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः केवल निम्नलिखित खेल निकायों द्वारा उपर्युक्त खेलों के लिए जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जायेगाः-

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन	(आई.ओ.ए.)
पैरालम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया	(पी.सी.आई.)
आई.ओ.ए. से संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन	(एन.एस.एफ.)
पी.सी.आई. से संबद्ध नेशनल पैरा स्पोर्ट्स फैडरेशन	(एन.पी.एस.एफ.)
इण्डियन पोलो ऐसोसिएशन	(आई.पी.ए.)
बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इण्डिया	(बी.सी.सी.आई.)'';

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी खिलाड़ी द्वारा 01.01.2016 को या उसके पश्चात् अभिप्राप्त खेल उपलब्धि पर ही विचार किया जायेगा। पदक विजेता खिलाड़ी पदक जीतने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर या राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2020 के प्रांरभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर सचिव, युवा मामले और खेल विभाग को आवेदन करना होगा। खिलाड़ी अपने आवेदन में इन नियमों से संबंधित प्रवर्ग में यथा उल्लिखित आवेदित पदों की वरीयता उल्लिखित करेगा।";

(iii) विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा संबंधित सेवा नियम के अनुसार होगी।"

(iv) विद्यमान उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(10) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् उस पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। इन नियमों के अधीन एक ही तारीख को नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम में अवधारित की जायेगी:-

(क) ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) के स्वर्ण पदक विजेता,
(ख) पैरालम्पिक गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(ग) ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) के रजत पदक विजेता,
(घ) पैरालम्पिक गेम्स के रजत पदक विजेता,
(ङ) ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) के कांस्य पदक विजेता,
(च) पैरालम्पिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(छ) वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,
(ज) क्रिकेट/पोलो वर्ल्ड कप/चैम्पियनशिप के विजेता,
(झ) पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,

(ञ) वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(ट) क्रिकेट/पोलो वर्ल्ड कप/चैम्पियनशिप के उप विजेता,
(ठ) पैरा वर्ल्ड कप/ पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(ड) वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,
(ढ) पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,
(ण) एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(त) कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(थ) एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(द) कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा इवेंट्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(ध) एशियन चैम्पियनशिप/एशिया कप ऑफ क्रिकेट के विजेता,
(न) एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता,
(प) कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता,
(फ) एशियन पैरा गेम्स के रजत पदक विजेता,
(ब) कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा इवेंट्स के रजत पदक विजेता,
(भ) एशियन चैम्पियनशिप/एशिया कप ऑफ क्रिकेट के उप विजेता,
(म) एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(य) कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(कक) एशियन पैरा गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(खख) कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा इवेंट्स के कांस्य पदक विजेता,
(गग) एशियन चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,
(घघ) एशियन पैरा चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,
(ङङ) एशियन चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(चच) एशियन पैरा चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(छछ) एशियन चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,
(जज) एशियन पैरा चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,
(झझ) सैफ (एसएएफ) गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(ञञ) सैफ (एसएएफ) पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(टट) सैफ (एसएएफ) गेम्स के रजत पदक विजेता,
(ठठ) सैफ (एसएएफ) पैरा गेम्स के रजत पदक विजेता,
(डड) सैफ (एसएएफ) गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(ढढ) सैफ (एसएएफ) पैरा गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(णण) नेशनल गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,
(तत) नेशनल पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता,

(थथ) नेशनल गेम्स के रजत पदक विजेता,
(दद) नेशनल पैरा गेम्स के रजत पदक विजेता,
(धध) नेशनल गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(नन) नेशनल पैरा गेम्स के कांस्य पदक विजेता,
(पप) नेशनल चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता।
(फफ) रणजी ट्रॉफी या नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ पोलो के विजेता,
(बब) पैरा नेशनल चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता,
(भभ) नेशनल चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(मम) रणजी ट्रॉफी या नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ पोलो के उप विजेता,
(यय) पैरा नेशनल चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता,
(ककक) नेशनल चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता,
(खखख) पैरा नेशनल चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता।

यदि दो या अधिक पदक विजेताओं के पास एक ही चैम्पियनशिप में एक जैसे पदक हैं तो वरिष्ठता उनकी आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी और अधिक आयु वाले को वरिष्ठ माना जायेगा। समान आयु की दशा में वरिष्ठता, उनके अंग्रेजी नामों के वर्णक्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।''

3. **नियम 4 का प्रतिस्थापन.**- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''4. **शारीरिक उपयुक्तता.**- इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले खिलाड़ी को मानसिक, शारीरिक और दैहिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो, परंतु खिलाड़ी चाहे किसी भी प्रवर्ग से संबंधित हो, स्वास्थ्य मानक जैसे लम्बाई, सीना, दृष्टि इत्यादि आवश्यक रूप से पूर्ण करेगा यदि खिलाड़ी द्वारा चुने गये पद से संबंधित सेवा नियमों में उनसे ऐसा अपेक्षित है। किंतु यदि किसी पैरा खेलों के पदक विजेता को इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जाना हो तो उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसमें ऐसा कोई मानसिक नुक्स न हो जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों

का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो परंतु पैरा खेलों का पदक विजेता चाहे किसी भी प्रवर्ग से संबंधित हो, स्वास्थ्य मानक जैसे लम्बाई, सीना, दृष्टि इत्यादि आवश्यक रूप से पूर्ण करेगा, यदि खिलाड़ी द्वारा चुने गये पद से संबंधित सेवा नियमों में उनसे ऐसा अपेक्षित है। दोनों प्रवर्ग के चयनीत खिलाड़ी को इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

23/2020